न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर राज0

बईजलास पीठासीन अधिकारी बनवारी लाल सिनसिनवार (आर0ए0एस)

उपखण्ड अधिकारी चाकसू।

वाद पत्र संख्या 316/14 निर्णय दिनांक 28-1-19

उनवान

धन्नालाल बनाम मोहरू

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

1. वादग्रस्त आराजी के बबात नामान्तकरण संख्या 86 दिनांक 28.07.1994 के विरूद्ध अप्रार्थी/वादी द्वारा अपील मान्य न्यायालय तहसीलदार चाकसू के पेश किया गया। उक्त अपील का निर्णय तहसीलदार चाकसू द्वारा दिनांक 27.02.2017 को कर दिया गया था। जिसकी अपील प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा संभागीय आयुक्त जयपुर के पेश की गयी। जिसके अपील संख्या 432/2017 है। उक्त अपील में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति यथावत रखे जाने का स्थगन आदेश पारित कर रखी है।
2. उक्त अपीलें दावे से पहले से ही विचाराधीन चल रही है। जबकि अप्रार्थी वादी द्वारा उक्त दावे में इन अपीलों का जिक्र किया। बल्कि उक्त लम्बित अपीलें को छिपाते हुए उक्त दावा श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है। जो काबिले उक्त दावा इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है।

3. जब विवादित आराजी के संदर्भ में पहले से ही अपीलेंट कोर्ट में अपीले विचाराधीन चल रही है तथा उक्त दावा यहां पर चल रहा है जिससे विवादित आराजी की कार्यवाही भिन्न-भिन्न न्यायालयों में नही चल सकती

है क्योंकि विभिन्न न्यायालय के आदेश हो जावेंगे। जिससे वादी का वाद वार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी के दावे को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1/3 ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का दिनांक 26.02.2018 को पेश किया गया जिसकी प्रतिवादी/अप्रार्थी वकील को दी गयी जिसका जवाब वादी/अप्रार्थी वकील द्वारा 05.03.2018 से 23.01.2019 तक 17 अवसर देने पर भी जवाब पेश नही करने पर बहस प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अप्रार्थी व वादी/अप्रार्थी वकील की सुनी गयी तो दौराने बहस वकील प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए कथन किया कि उक्त वाद से सम्बन्धित अपील संभागीय आयुक्त महोदय के विचाराधनी चल रही है। जिसमे वाद ग्रस्त भूमि की यथा–स्थिती बनाये रखने के आदेश कर रखे है उक्त अपीले दावे से पहले कि विचाराधीन है जिनमें वादी ने दावे में उक्त अपीलो का जिक्र नहीं किया लम्बित अपीलों को छिपाते हुए दावा किया है जो अपीलो के निर्णत तक उक्त वाद को स्टे कर दिया जावे।

जवाब बहस में वकील वादी/अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 का पेश किया है व बहस दफा 10 की कर रहे है. ~~मज~~ दावा घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाी निषेधाज्ञा का है जिसमें जवाब दावा आज पेश किया गया है जिसमें तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सबूत की जाकर गुणा व गुण पर निर्णय हो जावेगा।

अतः प्रार्थी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पक्षकारान वकील की बहस पर मनन किया व पत्रावली के प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो उक्त वाद से संबंधित एक अपील संख्या 1/06 का फैसला तहसीलदार द्वारा दिनांक 27.02.2017 को किया गया जिसकी अपील संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष कर रखी है जिसकी अपील संख्या 432/17 है उक्त अपील में तहसीलदार द्वारा किये गये निर्णय की कियान्वती राकी गयी इस प्रकार ही वादग्रस्त संबंधित अपील संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के विचाराधीन है एवं घोषणा का दावा न्यायालय हाजा में विचाराधीन इस प्रकार एक ही वादग्रस्त भूमि के अलग अलग कोर्ट में विचाराधीन होने एवं दावे ही पूर्व अपील विचाराधीन होने एवं दावा वाद दायर किये जाने तथा प्रतिवादी वकील द्वारा दावे के जवाब दोव के अतिरिक्त अभिवचन में उक्त वाद को संभागीय आयुक्त के निर्णत तक सुनवाई स्थगित किया जाना अंकित किये जाने एवं दावा वार्डबाई लॉ होने से की स्थिती में उक्त वाद की अपील के बाद में दायर होने के कारण अपील के निर्णत तक स्थगित रखाजाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत पेश किया जबकि दावे जवाब दावे में एवं दौराने बहस वकील प्रतिवादी ने कथन दफा 10 का किया गया है ऐसी स्थिती में उक्त वाद प्रार्थना 7 नियम 11 को नही मानते हुए निर्णय नही किया जाकर प्रार्थना पत्र दफा 10 के तहत मानते हुए निर्णय दफा 10 के तहत किया जाकर दावे की कार्यवाही दफा 10 के तहत अपीले के निर्णय तक स्थगित करे जाने के आदेश दिये जाते है। अपीले का निर्णय होने पर वाद पुनः चलाने हेतु वादी स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसला शूमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(डिकी मुकद्दमा इब्तदाई)
(... 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चाकसू जिला जयपुर

बइजलास बनवारीलाल मीन सिनवार उपखण्ड अधिकारी चाकसू

धन्नाराम पुत्र लालाराम जाति बनाम म्होरू पुत्र ध्योरू (मृतक पैरोकार दावा) जाति अहीर मुहीर निवासी झाड़ला तहसील फागी बाबत घोषणा खातेदारी ... निवासी ... तहसील चाकसू जिला जयपुर मुकद्दमा नम्बर 31/2014 सन् स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकद्दमा आज ... इनफिसाल कतई रूबरू ——————

व हाजिरी —————— मिनजानिब मुद्दई रूबरू ——————

—————— मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि मुकदमा वादी प्रार्थना पत्र नियम 11 को नहीं मानते हुए निर्णय नहीं किया जाकर प्रार्थना पत्र दफा 10 के तहत मानते हुए निर्णय दफा 10 के तहत किया जाकर दावे की कार्यवाही दफा 10 के तहत अपील के निर्णय तक स्थगित करने के आदेश दिये जाते हैं। अपील का निर्णय होने पर वाद पुनः चलाने हेतु वादी स्वतंत्र रहेगा।

निज —————— मुवलिग —————— बाबत

—————— खर्चा इस मुकद्दमा के मय सूद बशरह

—————— फीसदी सालाना / आज की तारीख से तारीख

अदायगी तक —————— को अदा करें।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज तारीख 28.1.19 सन 2014

को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
मुहर चाकसू (जयपुर)

मुहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दालय	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मान्य वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर बाबत			बाबत इजराय		
इजराय हुकमनामा			हुकमनामा		
मुतफरिक मीलान			मुतफरिक		

दस्तखत ——————
मुहर ——————